हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु, के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2013

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावना :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणु, जिला सोलन के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2013 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री उमेश शर्मा अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु, के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	विभिन्न आवासीय परिसरों मालिकों से प्रभार के रूप में दिनांक 31.3.2013 तक वसूली योग्य राशि शेष	4	94.36
2	विभिन्न आवासीय परिसरों के जल प्रभार की राशि दिनांक 31.3.2013 तक वसूली योग्य शेष	5	37.70
3	परवाणु जल आपूर्ति योजना के संचालन पर आय की तुलना में अधिक व्यय	6	123
4	विविध अग्रिमों की बकाया राशि वसूली योग्य शेष	6 (ख)	69.03

5	अनुबन्ध क्लाज 2 व 3 (ए) के अनुसार संविदाकार से वसूली न करना	7	21.79
6	सेल ट्रैक्स की राशि जमा न करना	8	17.60
7	संविदाकार से अनुबन्ध क्लाज 2 व 3 (ए) के अनुसार संविदाकार से वसूली न करना	9	11.49
8	संविदाकार को अनुचित/अधिक भुगतान	10	15.29
9	लैबर सैस की राशि जमा न करना	11	12.02
10	संविदाकार को निर्माण कार्य में सम्भावित अधिक भुगतान	13	2.31
11	गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अनियमित/अधिक भुगतान	15	2.33
12	अंशदायी भविष्य निधि में अनियमित भुगतान	16	0.81

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' में दर्शाई गई है। वर्ष 04/84 से 03/2012 तक मण्डल से सम्बन्धित 25 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	**वर्ष**	**शेष पैरों की संख्या**
मण्डी मण्डल से स्थानान्तरित पैरें		
1	1984–85	1
2	1985–86	1
3	1987–88	2
शिमला मण्डल II से स्थानान्तरित पैरे		
4	1991–92	3
5	1993–94	2
6	1994–1995	1
निमार्ण मण्डल परवाणु		
7	1995–96	2

8	2000–01	1
9	2006–2007	1
10	2010–2011	3
11	2011–2012	8
	कुल	**25**

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु, जिला सोलन, से उपरोक्त आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–2

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्रधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु के लेखाओं अवधि 04/2012 से 3/2013 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री चम्बेल सिंह परमार व श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.11.2013 से 27.1.2014 तक श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 के पर्यावेक्षण में परवाणु में किया गया। मास 01/2013 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण में आगामी पैराग्राफों में दर्शाये गये अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाए गए।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणु के लेखाओं अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013 तक के अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–2 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 **(क) परवाणु मण्डल के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों से रख–रखाव के रूप में ₹9435753/– वसूली योग्य राशि शेष :–**

हिमुडा मण्डल परवाणु के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से 31.03.13 तक रख–रखाव प्रभार के रूप में ₹9435753/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है।

आवास बस्ती का नाम	दिनांक 31.3.2012 को वसूल योग्य राशि
आवास बस्ती फेज I व II बद्दी	149236
आवास बस्ती फेज III बद्दी	19397
आवास बस्ती फेज IV बटोलीकलान	475279
औद्योगिक क्षेत्र बटोलीकलान	487346
आवास बस्ती नालागढ़	323116
आवास बस्ती मन्धाला	285799
आवास बस्ती कालु झण्डा	263102
आवास बस्ती परवाणु	1444039
औद्योगिक क्षेत्र कामली	74833
औद्योगिक क्षेत्र खड़ीन	278113
आवास बस्ती पांवटा साहिब	5547805
आवास बस्ती शुभखेड़ा	87688
कुल वसूल योग्य राशि	9435753

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रख–रखाव प्रभार की वसूल योग्य राशि निरन्तर बढ़ रही है जोकि एक गम्भीर विषय है। अतः मण्डलाधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि रख–रखाव प्रभार की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही की जाये ताकि विकास कार्य को गति दी जा सके व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) लोक निर्माण विभाग से रख–रखाव प्रभार के रूप में ₹6221891/– वसूली योग्य शेषः–

लोक निर्माण विभाग से रख–रखाव के रूप में ₹6221891/– की राशि वसूल योग्य शेष है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। यह एक गम्भीर अनियमितता है अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

लोक निर्माण विभाग मण्डल का नाम	वसूल योग्य राशि
लोक निर्माण विभाग मण्डल कसौली	988835
लोक निर्माण विभाग मण्डल पांवटा साहिब	5233056
	6221891

(ग) रख रखाव प्रभार सरचार्ज ₹60260/– की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान रख–रखाव प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख/खाताबही की पड़ताल पर पाया गया कि यदि रख–रखाव प्रभार के बिल जारी करने के 30 दिन के भीतर यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो 14% वार्षिक दर से सरचार्ज की वसूली की जानी अपेक्षित है। परन्तु निम्नलिखित मामलों में उप मण्डल बद्दी के अधीन आवास बस्ती धारकों से रख रखाव प्रभार के बिल जारी करने के 30 दिन के पश्चात रख रखाव प्रभार की वसूली की गई परन्तु उनसे सरचार्ज ₹60260/– की वसूली नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹60260/– सरचार्ज की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

नाम	प्लाट का क्षेत्र	वसूली की दर	वसूल योग्य राशि	14–1 अधिभार की राशि	बिल सं0/बिल जारी की तिथि	राशि प्राप्ति की देय तिथि	राशि प्राप्ति की तिथि
एलकोन मोडलर सिस्टम भटोली कलान प्लाट नं0 1	2764.16 वर्ग मी0	10 वर्ग मी0	27642	3870	4101/ 14.8.12	12.9.12	13.9.12
एपेकस एनकोन प्लाट	1432.	10 वर्ग	14325	2006	4106/	12.9.12	14.9.12

नं0 6	50वर्ग मी0	मी0			14.8.12		
एपेकस एनकोन प्लाट नं0 9	3377.07 वर्ग मी0	10 वर्ग मी0	33771	4728	4109 / 14.8.12	12.9.12	14.9.12
मैसर्ज एनवारेमटल प्लाट नं0 11	3128.83 वर्ग मी0	10 वर्ग मी0	31288	4380	4111 / 14.8.12	12.9.12	13.9.12
मैसर्ज प्रकाश लेबल प्लाट नं0 17	1000 वर्ग मी0	10 वर्ग मी0	10000	1400	4117 / 14.8.12	12.9.12	13.9.12
मैसर्ज जी0जी0 न्यूट्रीयन प्लाट नं0 19	1000 वर्ग मी0	10 वर्ग मी0	10000	1400	4119 / 14.8.12	12.9.12	13.9.12
मैसर्ज के0एस0 प्लेकसी पैक प्लाट नं0 53	1950 वर्गमी0	10 वर्ग मी0	19500	2730	4152 / 14.8.12	12.9.12	13.9.12
मैसर्ज के0एस0 प्लेकसी पैक प्लाट नं0 54	1950 वर्गमी0	10 वर्ग मी0	19500	2730	4153 / 14.8.12	12.9.12	13.9.12
मैसर्ज निखिल इन्टरनैशनल प्लाट नं0 61	16405.82 वर्ग मी0	10 वर्ग मी0	164058	22968	4159 / 14.8.12	12.9.12	13.9.12
मैसर्ज वी0वी0 लिमिटेड	10034 वर्ग मी0	10 वर्ग मी0	100340	14048	4163 / 14.8.12	12.9.12	14.9.12
		कुल राशि		₹60260			

5 (क) परवाणु मण्डल के अधीन विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार के रूप में ₹3770214/— वसूली योग्य राशि शेषः—

जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों /फैक्टरी मालिकों/आंबटियों से दिनांक 31.03.2013 तक जल प्रभार के रूप में ₹3770214/— की राशि वसूली योग्य शेष थी जोकि एक गम्भीर विषय है जल प्रभार वसूली योग्य राशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः मण्डलाधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि लम्बित जल प्रभार राशियों की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये ताकि विकास कार्य को गति दी जा सके व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए जल आपूर्ति योजना की वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	जल आपूर्ति योजना का नाम	वसूल योग्य राशि
1	जल आपूर्ति योजना परवाणु उप मण्डल	1380680
2	जल आपूर्ति योजना बद्दी उप मण्डल	2246865
3	जल आपूर्ति योजना नालागढ़	122488
4	जल आपूर्ति योजना पावंटा साहिब	20181
	कुल वसूल योग्य राशि	**3770214**

(ख) जल प्रभार की व्यवसायिक के स्थान पर घरेलु दर से अनियमित वसूलीः—

अंकेक्षण के दौरान जल प्रभार के अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि परवाणु उप मण्डल द्वारा सहायक विकास बागवानी विभाग के कार्यालय से जल प्रभार की वसूली व्यवसायिक दरों के स्थान पर घरेलु दरों के अनुसार की जा रही है जबकि सरकारी विभाग से जल प्रभार की वसूली व्यवसायिक दरों के अनुसार की जानी अपेक्षित है घरेलु दरों के अनुसार वसूली करने से उप मण्डल को लाखों रूपये की सम्भावित हानि हुई है। अतः घरेलु दरों के अनुसार जल प्रभार की वसूली का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा जिस अवधि से घरेलु दरों के अनुसार वसूली की गई उस अवधि से विभाग द्वारा खपत किये गये पानी की गणना व्यवसायिक दरों के अनुसार करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) जल प्रभार राशि की गलत गणना के कारण ₹2503/— की कम प्राप्तिः—

अंकेक्षण के दौरान जल प्रभार की खाताबही की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न व्यक्तियों से जल प्रभार खपत के यूनिट की गलत गणना के कारण ₹2503/— कम राशि की प्राप्ति हुई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

नाम	खाता सं0	बिल जारी की तिथि	खाताबही अनुसार जल खपत की मात्रा प्रति हजार यूनिट अनुसार	खाताबही अनुसार ली गई मात्रा	कम ली गई मात्रा	बड़ी हुई दर अनुसार वसूली की दर	अपेक्षित कम वसूली
श्री वी0पी0 गुप्ता	1–डी0–29	3.1.13	598	511	87	23.40	2035
मैसर्ज विकास पेपर	3–सी–26	7.1.13	20	10	10	46.80	468
					कुल कम वसूली		**2503**

(घ) जल प्रभार के बिलों को औसत आधार पर जारी करने से लाखों की सम्भावित हानिः–

परवाणु उप मण्डल द्वारा जल प्रभार के बिलों को औसत आधार पर जारी किया जा रहा है। औसत आधार पर बिल जारी करने से उप मण्डल को लाखों की सम्भावित हानि से इन्कार नहीं किया जा सकता। नियमानुसार पानी की खपत के अनुसार बिलों को जारी किया जाना अपेक्षित है ताकि उपमण्डल को पानी की खपत के अनुसार जल प्रभार की राशि प्राप्त हो सके अत्यधिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जल प्रभार के बिल औसत आधार पर जारी किए जा रहे है जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है।

अतः लेखा परीक्षा द्वारा सुझाव दिया जाता है कि खराब पड़े पानी के मीटर को तुरन्त बदलकर वास्तविक पानी की खपत के आधार पर जल प्रभार की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

6 (क) जल आपूर्ति योजना के संचालन पर आय की तुलना में ₹1.23 करोड़ अधिक व्ययः–

अंकेक्षण के दौरान परवाणु जल आपूर्ति की योजना की पड़ताल पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जल आपूर्ति योजना पर आय की अपेक्षा ₹12309222/– का

अधिक व्यय किया गया वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान जल आपूर्ति योजना से जल प्रभार के रूप में ₹15332984/– की प्राप्ति हुई जबकि जल योजना पर ₹27642206/– का व्यय किया गया परिणामस्वरूप 2012–13 के दौरान आय की तुलना में ₹12309222/– का अधिक व्यय किया गया जिसे किसी भी स्थिति में तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता हिमुडा जैसी कमर्शियल संस्था में इस योजना को सही ढ़ंग से संचालित न करना एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस योजना का संचालन उचित प्रकार से किया जाए ताकि संस्था को भविष्य में और अधिक हानि का सामना न करना पड़े।

(ख) विविध अग्रिमों की बकाया ₹6903135.75 की वसूली शेषः–

विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों विभागों, फर्मों इत्यादि को प्रदान किए गए विधि अग्रिम राशियों में से दिनांक 31.03.2013 तक की बकाया ₹6903135.75 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट (ख) पर दिया गया है। इतनी अधिक बकाया राशि की समायोजन हेतु मण्डल कार्यालय द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए है। अतः यह मामला मण्डलाधिकारी के ध्यान में लाया जाता है कि लम्बित बकाया राशि ₹6903135.75 के समायोजन हेतु शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 अनुबन्ध की क्लाज–2 व 3 (ए) के अन्तर्गत कार्रवाई करने पर ₹2179144/– की संविदाकार से वसूली न करनाः–

कार्य का नाम	एन्टीग्रेटिड टाऊन शिप मन्धाला कन्स्ट्रक्शन ऑफ 96 नं0 ई डब्लयूएस फ्लैट
संविदाकार	मै0 हिम बिल्डर्ज
अनुबन्ध संख्याः	3 वर्ष 2009–10
अनुबन्ध राशि	₹21791433.61

(क) उपरोक्त कार्य का आंबटन मै0 हिम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटिड को पत्र संख्याः हिमुडा/पी0डी0/सी0वी0/मन्धाला खण्ड 9/09–995–1002 दिनांक 25.06.2009 द्वारा किया गया था। कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह थी। संविदाकार द्वारा समय पर कार्य निष्पादित न करने के कारण अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 2 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुये पत्र संख्या पी0डी0/हिमुडा/ए0वी0/एग्रीमैन्ट फाईल–4/2009–10–4270–73 दिनांक 8.8.2011 व समसंख्यक पत्र संख्या दिनांक 31.10.2011 (कोरीजैन्डम) द्वारा संविदाकार को अनुबन्ध राशि के 10 प्रतिशत के बराबर ₹2179144/– प्रतिपूर्ति राशि (compensation amount) 10 दिन के भीतर जमा करने को कहा गया था। संविदाकार द्वारा यह राशि आज दिन तक लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी जमा नहीं की गई न ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्त राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास किया गया। राशि की वसूली हेतु संविदाकार से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया न ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। ₹2179144/– की संविदाकार से वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा राशि की वसूलीश्शीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(2) उपरोक्त कार्य का पांचवा व अन्तिम बिल मापन पुस्तिका संख्या 2015 के पृष्ठ 44 से 55 पर गणना करके तैयार किया था। यह बिल दिनांक 6.4.2012 को तैयार किया गया था। इस बिल की गणना (–)₹151842/– की गई थी। लगभग 20 माह का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी यह बिल मण्डी कार्यालय में बिना भुगतान हेतु पारित किये पड़ा था। इतनी लम्बी अवधि तक ₹151842/– की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये यद्यपि लेखा परीक्षा में आपत्ति उठाए जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा तुरन्त कार्रवाई करते हुए ₹151842/– का समायोजन वाऊचर संख्या 4 माह 12/2013 द्वारा उक्त निर्माण कार्य के पांचवे एवं अन्तिम चलत बिल पारित करके प्रतिभूति खाते से वसूली कर दी गई है।

(ग) पांचवें व अन्तिम बिल का अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार को 3550 सीमेन्ट बैग जारी किये गये थे जिनकी ₹172 प्रति बैग+3 प्रतिशत स्टोरेज चार्जिज सहित वसूली की गणना की गई थी। सीमेन्ट की उपयोग विवरणी के अनुसार निर्माण कार्य में 3408 सीमेन्ट बैग उपयोग किये थे तथा 3% वेस्टेज के साथ 3510 (3408+3%) सीमेन्ट बैग की ₹172+3 प्रतिशत स्टोरेज चार्जिज सहित वसूली की गणना की जानी अपेक्षित थी तथा 40 सीमेन्ट बैग की नियमानुसार पैनल दर से वसूली नहीं की गई। अतः 40 सीमेन्ट बैग की172+

3 प्रतिशत स्टोरेज चार्जिज के साथ ₹7086 (40X172+3 प्रतिशत) की संविदाकार से कम वसूली की गई जिसे लेखा परीक्षा में आपत्ति उठाए जाने के पश्चात ₹7086/– का समायोजन वाउचर संख्या 4 माह 12/2013 द्वारा उक्त निर्माण कार्य के पाचवें एवं अन्तिम बिल पारित के संविदाकार के प्रतिपूर्ति खाते से वसूल कर लिया गया है।

(घ) अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय पत्र संख्या पी0डी0/हिमुडा/एबी/एंग्री फाईल–4/2009–10–5722–25 दिनांक 31.10.2011 द्वारा संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध की कलाज 3(ए) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुये कार्य के दौरान संविदाकार से प्राप्त प्रतिभूति की राशि को जब्त (Forteit) किया था। संविदाकार से कार्य के चौथे चलत बिल तक संविदाकार से प्रतिभूति के रूप में ₹212701/– की कटौती की गई थी इस राशि को आज दिन तक संविदाकार के प्रतिभूति खाते से निकालकर हिमुडा निधि में जमा नहीं किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये यद्यपि लेखा परीक्षा में अर्जित उठाये जाने पर ₹22170/– का समायोजन वाऊचर संख्या 11 माह 12/2013 द्वारा हिमुडा के विविध प्राप्ति खाते में जमा कर दिया गया है।

8 सेल टैक्स से सम्बन्धित राशि ₹1760322/– सेल टैक्स विभाग में जमा न करनाः–

संविदाकारों के भुगतान से निम्नविवरणानुसार सेल टैक्स की वसूली की गई राशि ₹1760322/– को सेल टेक्स विभाग में जमा नहीं करवाया गया यह अनियमित है। सम्बन्धित विभाग में तुरन्त जमा करवाया जाना वांन्छित था। सरकारी प्राप्तियों को जमा न करके राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः सेल टैक्स की प्राप्त राशियों को सम्बन्धित विभाग में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा प्राप्त राशि को शीध्र सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

प्राप्ति का माह	सेल टैक्स की प्राप्त राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया
1/2013	1022484
2/2013	425296
3/2013	312542
	1760322

9 अनुबन्ध की क्लाज 2 व 3 (ए) के अन्तर्गत कार्रवाई करने पर संविदाकार से ₹1149804/– की वसूली न करनाः–

कार्य का नाम	आई0टी0आर0 मन्धाला, जिला सोलन में 10 नं0 कैटागिरी II फ्लैट पार्किंग फलोर के साथ का निर्माण कार्य आन्तरिक वाटर सप्लाई एवं सैनेटरी के कार्य सहित करना।
अनुबन्ध राशि	11498037.79
अनुबन्ध सं0	4 वर्ष 2009–10
संविदाकार का नाम	मै0 हिम बिलडर्ज प्रा0 लि0

(क) उपरोक्त कार्य का आंबटन मै0 हिम बिल्डर्ज प्रा0लि0 को पत्र संख्या हिमुडा/पी0डी0/सी0वी0/ए–15/08–1003–11 दिनांक 25.6.2009 द्वारा किया गया था। कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह थी। संविदाकार द्वारा समय पर कार्य निष्पादित न करने के कारण अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 2 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुये पत्र संख्या पी0डी0 हिमुडा/ए0वी0/अनुबन्ध फाईल–4/2009–10–4266–69 दिनांक 8.8.2011 द्वारा संविदाकार को ₹1149804/– प्रतिपूर्ति राशि (compention amount) अनुबन्ध राशि के 10 प्रतिशत भाग के बराबर 60 दिन के भीतर जमा करने के लिए कहा गया था। संविदाकार द्वारा यह राशि आज दिन तक लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी जमा नहीं की गई न ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा राशि की वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास किया गया। राशि की वसूली हेतु संविदाकार से आज दिन कोई पत्राचार नहीं किया गया न ही कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। ₹1149804/– की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा राशि की वसूली न करने हेतु चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त ₹1149804/– की श्शीध्र वसूली करके मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) संविदाकार द्वारा कार्य के चौथे बिल तक ₹2596306.51 का कार्य किया गया था। कार्य का पांचवा व अन्तिम बिल दिनांक 2.4.2012 को तैयार किया गया था। पांचवे व अन्तिम बिल तक कुल ₹2710645.95 का कार्य किया दर्शाया गया था तथा पांचवे व अन्तिम बिल की गणना (–)₹362693/– की गई थी। लगभग 20 माह का समय व्यतीत हो जाने पर भी यह बिल भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया था। आज तक यह बिल कार्यालय भुगतान हेतु पारित किये बिना पड़ा है। इस राशि ₹362693/– को भी संविदाकार से वसूली की जानी अपेक्षित थी।

(ग) उपरोक्त पांचवे व अन्तिम बिल के अनुसार संविदाकार से 2000 सीमेन्ट बैग की ₹172+3 प्रतिशत स्टोरेज चार्जिज के साथ वसूली की गणना की गई थी जबकि सीमेन्ट की उपयोगिता विवरणी के अनुसार 1989 सीमेन्ट बैग (1931+3% वैरीयेशन) की वसूली की जानी थी शेष 11 बैग की वसूली पैनल दर से की जानी थी जिसके अनुसार ₹1949/– (11x172+3% स्टोरेज चार्जिज) की और वसूली की जानी अपेक्षित थी।

(घ) अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्याः पी0डी0/हिमुडा/ए0बी0/ऐग्रीमैनट फाईल–4/2009–10–5726–29 दिनांक 31.10.2011 द्वारा संविदाकार मै0 हिम बिलडर्ज प्रा0लि0 के विरूद्ध अनुबन्ध की क्लाज 3 (ए) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुये संविदाकार की उपरोक्त कार्य के दौरान प्राप्त प्रतिभूति की राशि को जब्त (Forfeit) किया गया था। उपरोक्त कार्य के दौरान संविदाकार से कार्य के चौथे चलत बिल तक प्रतिभूति की राशि ₹147365/– थी, जिसे उपरोक्त आदेशों के आधार पर संविदाकार के खाते से निकालकर बोर्ड निधि में जमा किया जाना था लेकिन दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर भी इस राशि को बोर्ड निधि में जमा नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा तुरन्त कार्रवाई करते हुये कार्य का पांचवा व अन्तिम बिल भुगतान हेतु पारित करके समायोजन वाऊचर संख्या 5 मास 12/2013 द्वारा उपरोक्त पैरा ख व ग में दर्शाई गई राशि क्रमशः ₹362693 व ₹1949 की संविदाकार के प्रतिभूति खाते से वसूली कर दी गई तथा उपरोक्त पैरा (घ) में दर्शाई गई राशि ₹147365/– की समायोजन वाऊचर संख्या 10 मास 12/2013

द्वारा वसूली करके हिमुडा के विविध प्राप्ति खाते में जमा कर दी गई। अतः उपरोक्त 4 (क) में दर्शाई गई राशि ₹1149804/– की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10 ₹1528342/– का संविदाकार को अनुचित/अधिक भुगतानः–

कार्य का नाम	एकीकृत आवासीय टाऊनशिप मन्धाला का डवैलपमैन्ट वर्कस, रोड़ प्रोवाईडिंग एकसटरनल वाटर सप्लाई, एकसटरनल सिवरेज ड्रेन इत्यादि का निर्माण कार्य करना
संविदाकार का नाम	मै0 आल ग्रेस डवैलपरस प्रा.लि0
अनुबन्ध संख्या	2 वर्ष 2008–09

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य का आंबटन मै0 आल ग्रेस डवैलपमैन्ट प्रा0लि0 को अधिशासी अभियन्ता हिमुडा मण्डल परवाणु के पत्र संख्याः हिमुडा/पी0डी0/सी0वी0/ए–15/2008–85–93 दिनांक 07.04.2008 द्वारा ₹276956604.93 में किया गया। संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य 15 मास की अवधि में किया जाना अपेक्षित था। इस निर्माण कार्य के 26वें चलत बिल से 39वें चलत बिल तक किये गये कार्य की विस्तृत जाँच की गई। जाँच करने पर ₹1528342/– के अधिक भुगतान व कम वसूलियों के मामले एवं अन्य अनियमिततायें पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) ₹943964/– की प्रतिभूति की राशि की वसूली न करनाः–

निर्माण कार्य के 39वें चलत बिल द्वारा संविदाकार को 10सी0सी0 दावे के रूप में ₹37758541/– का भुगतान किया गया था। भुगतान करते समय उपरोक्त राशि पर प्रतिभूति की वसूली 2½ प्रतिशत की दर से की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त राशि पर प्रतिभूति की कटौती जो 2½ प्रतिशत की दर से ₹37758541/– पर ₹943964/– बनती थी नहीं की गई थी। 39वें चलत बिल से प्रतिभूति की राशि की वसूली न करने कारण संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है। 39वें चलत बिल से प्रतिभूति की राशि की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा कम वसूल की गई राशि की अब वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) ₹172460/– का अधिक भुगतानः–

कार्य के 39वें चलत बिल के दौरान संविदाकार को ₹37758541/– का भुगतान किया गया था। भुगतान की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि पूर्व वर्षों के अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त कार्य की अंकेक्षण के दौरान जाँच पड़ताल करने पर लाखों रूपये के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में लाये गये थे जिनकी आगामी चलत बिलों में जिनका भुगतान अंकेक्षण के बाद किया था, से वसूली कर दी गई थी। लेखा परीक्षा के दौरान दर्शाये गये अधिक भुगतान के मामलों से सम्बन्धित राशियों की संविदाकार के बिलों से वसूली करने के कारण जिन बिलों द्वारा अधिक भुगतान किया गया था उनकी कुल भुगतान की गई राशि 10सीसी दावे की गणना करते समय वसूल की गई राशि के बराबर कम दर्शाकर 10 सीसी दावे की गणना की जानी चाहिए थी। 39वें चलत बिल में भुगतान किये गये 10 सीसी दावे की गणना की जाँच करने पर पाया गया आडिट आपत्तियों के फलस्वरूप संविदाकार से वसूल की गई राशियों 10 सीसी दावे की गणना करते समय चलत बिलों की कुल राशि से कम न करने के कारण संविदाकार की ₹172460/–का अधिक भुगतान किया गया था। बिल बार आडिट वसूली की राशि एवं प्रथम चलत बिल से 25वें चलत बिल तक भुगतान की गई राशियों का तिमाही बार विवरण 10सीसी दावे की गणना हेतु परिशिष्ट "ग" पर दिया गया है तथा प्रथम चलत बिल से 25वें बिल तक 10सीसी दावे की गणना परिशिष्ट "घ" पर की गई है जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 25वें चलत बिल तक 10सीसी दावे के रूप में ₹172460/– का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अधिक किए गए भुगतान को उचित स्त्रोत से वसूल करके मण्डल खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) गलत/दर निर्धारण के कारण संविदाकार को ₹127332/– का अनुचित भुगतानः–

उपरोक्त कार्य के अनुमान के अनुसार परिशिष्ट "बी 4" की मद संख्या 6 (डी) प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0(एम 20) संस्पैंडिड फ्लोर/रफ लैण्डिग इत्यादि से सम्बन्धित कार्य की मात्रा 244 घन मी0 दर्शाई गई थी जिसकी दर ₹1994.45 प्रति घन मी0 की दर से राशि ₹487866/– दर्शाई गई थी। इस मद की राशि एन आई0टी0 की राशि में शामिल की गई थी लेकिन संविदाकार को टैण्डर/विड फार्म देते समय उपरोक्त मद (Schedule of quantity) में शामिल नहीं की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। टैण्डर/बिड फार्म

में मद न होने पर संविदाकार द्वारा इस मद हेतु कोई दर नहीं दी गई थी। वास्तव में कार्य करते समय उपरोक्त मद से सम्बन्धित कार्य संविदाकार से करवाया गया था जिसके लिए 38वें चलत बिल तक 192.77 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹3340/– प्रति घन मी0 की दर से परिशिष्ट "बी 5 एक्स" की मद संख्या 6 सी के आधार पर ₹643851.80 का भुगतान किया गया था। उपरोंक्त मद से सम्बन्धित किये गये कार्य का भुगतान परिशिष्ट "बी 4" में प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0एम0 20 से सम्बन्धित अन्य मदों के आधार पर दर अतिरिक्त मद (Extra Item) के रूप में किया जाना था जिसके अनुसार दर का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना था। अन्य परिशिष्ट की मद के आधार पर भुगतान नहीं किया जाना था। क्योंकि कार्य को आंबटित करते समय/नेगोशिएसन के समय संविदाकार द्वारा विभिन्न परिशिष्टों की समान कार्य मदों में समान दर से कार्य करने हेतु एनआईटी की क्लास 15 ए के अन्तर्गत अस्मर्थता दर्शाई थी।

कार्य मद का विवरणः–प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0 (एम 20) सस्पैंडिंड फलोर रफ लैडिंग इन रिइनफोर्समैन्ट इत्यादि

परिशिष्ट बी 4 की समान मदों हेतु संविदाकार द्वारा दी गई दरें।

मद सं0	**कार्य मात्रा**	**दर ₹ में**	**राशि**
6 एन 20			
(ए) फाऊंडेशन फुटिंग	453 घन मी0	2520	1141560
(बी) कालम	9 घन मी0	3340	30060
(सी) बालज	355 घन मी0	3300	1171500
			2343120
कार्य के अनुमान/एच0पी0एस0आर0 1999 के अनुसार दरें 6 एम 20			
(ए) फाऊंडेशन फुटिंग	453 घन मी0	2235	1012500
(बी) कालम	9 घन मी0	2330	20790
(सी) बालज	355 घन मी0	2014.40	715112
			1748402

उपरोक्त कार्य की प्रतिशतता 2343120–1748402X100/1748402=34.01 प्रतिशत

उपरोक्त के अनुसार परिशिष्ट बी 4 के अन्तर्गत मद संख्या 6 (डी) प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0 एम 20 से सम्बन्धित किए गये कार्य का अतिरिक्त मद के रूप में निमनविवरणानुसार दर निर्धारित करके भुगतान किया जाना था।

कार्य के अनुमान/एच0पी.एस0आर 1999 के अनुसार उपरोक्त मद की दर	₹1999–45 प्रति घन मी0
+ समान कार्य मद की प्रतिशतता	1999.45+34.01 प्रतिशत

दर का निर्घारण =₹1999.45+680=₹2679.46 प्रति घन मी0

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार के उपरोक्त मद के अन्तर्गत किये गये कार्य की मात्रा 192.77 घन मी0 के लिए ₹660.54 (₹3340–₹2679.46) प्रति घन मी0 की दर से ₹127332/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(4) वीप होल के कार्य की कार्य मात्रा को कम न करने के कारण संविदाकार को ₹47562/– का अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्य के 38वें चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग पी0बी0सी0 पाईप 100 एमएम डाया इन रिटेनिंग वाल फार वीप होलस के लिए करवाये गये कार्य का विभिन्न मदों के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया था।

मापन पुस्तिका सं0/पृ0	मद सं0/परिशिष्ट	कार्य मात्रा मी0 में	दर प्रति मी0	राशि
2154 पृ0 15	7/8 परिशिष्ट ए (3)	2769.57	150	378046.50
2154 पृ0 98	12/17 परिशिष्ट डी (1)	651.49	155	91892.66

चलत बिलों में करवाये गये कार्य को ध्यान में रखते हुये यह पाया गया कि सकवेयर रबल मैशनरी में करवाये गये कार्य में 100 एम एम डाया पाईप के वीप होलस का प्रयोग किया जाना था परन्तु उक्त कार्य मद की गणना करते समय 100 एमएम पाईप हेतु कोई भी कटौती सकवेयर रबल मैशनरी के कार्य से नहीं की गई जिसके फलस्वरूप सकवेयर रबल मैशनरी के कार्य का आंकलन अधिक किया गया है। सकवेयर रबल मैशनरी के किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से था।

मापन पुस्तिका सं0/पृ0	मद सं0/परिशिष्ट	कार्य मात्रा	दर ₹ में	राशि ₹ में
2154 पृ0 13	4/4 परिशिष्ट ए (3)	728.27 घन मी0	1760	1166397
2154 पृ0 99	8/10 परिशिष्ट डी (1)	2758.65 घन मी0	1820	5472610

उपरोक्त विवरणानुसार सकवेयर रबल मैशनरी के कार्य मात्रा से 100 एम0एम0 डाया पाईप के वीप होलस हेतु किये कार्य हेतु कटौती की जानी थी क्योंकि वीप होल्स के किये गये कार्य का अलग से मापन व भुगतान किया गया था है। अतः सकवेयर रबल मैशनरी की कार्य मात्रा से 100 एम0एम0 डाया पाईप के वीप होल हेतु कटौती न करने पर संविदाकार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था।

मद संख्या	100 एमएम डाया पाई वीप होलस की जितनी कार्य मात्रा कम की जानी थी	दर	राशि
4/4 परिशिष्ट ए (3)	II/4x(0.10)2x2769.57 मी0=21.74 घन मी0	1760	38262
8/10 परिशिष्ट डी (1)	II/4x(0.10)2x651.49 मी0=5.11 घन मी0	1820	9300
			47562

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को ₹47562/– का अधिक भुगतान किया गया था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(5) सड़क निर्माण के कार्य में रोड़ नं0 34 में किये गये कार्य की गणना दो बार किये जाने के कारण संविदाकार को ₹58286/– का अधिक भुगतानः–

सड़क निर्माण के कार्य से सम्बन्धित परिशिष्ट ए(1) के अन्तर्गत किये गये सड़क निर्माण के कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिकाओं के अनुसार रोड़ नं0 34 आर डी 0/00 से 0/34.50 मीटर में किये गये कार्य का परिशिष्ट ए (1) की मद संख्या 7 से 12 के दौरान दो बार गणना करके भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मद सं0/परिशिष्ट (ए–1)	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कुल कार्य मात्रा वर्ग मी0	रोड़ नं0 34 आर0डी0 0/00 से 0/3450 की कार्य मात्रा वर्ग मी0	रिकार्ड प्रविष्टियों का विवरण
27वां चलत बिल एम बी 2069 पृष्ठ (1 से 71)				
11/7	प्रिपेयरेशन ऑफ सरफेस	16438.29	179.40	एम बी 2068 पृष्ठ 49
12/8	प्रीमिक्स कोट आफ वियूमैन	16438.29	179.40	एम बी 2068 पृष्ठ 50
13/9	टैंक कोट	16438.29	179.40	एम बी 2068 पृष्ठ 53
		16438.29		एम बी 2068 पृष्ठ 55
14/10	प्रीमिकस मकैन्डम सरफेसिंग	16438.29	179.40	एम बी 2068 पृष्ठ 54
15/11	प्रीमिकस कारपेट सरफेसिंग	16438.29	179.40	एम बी 2068 पृष्ठ 56
28वाँ चलत बिल एम बी 2069 (पृष्ठ 77 से 100)				
12/12	प्रीमिकस सील कोट	16438.29	179.40	एम बी 2068 पृष्ठ 61
9/9	टीक कोट	16438.29	179.40	एम बी 2068 पृष्ठ 59
दूसरी बार 32वाँ चलत बिल एम बी 2099 पृष्ठ (1 से 94)				
7/7	प्रपेयरेशन ऑफ सरफेस	67889.97	179.40	एम बी 2092 पृष्ठ 72
8/8	प्रीमिकस कोट ऑफ विचूमैन	67890.08	179.40	एम बी 2092 पृष्ठ 73
9/9	टैक कोट	194030.88	179.40	एम बी 2092 पृष्ठ 73
			179.40	एम बी 2092 पृष्ठ 75
10/10	प्रीमिकस मकैन्डम सरफेसिंग	67887.49		एम बी 2092 पृष्ठ 75
11/11	प्रीमिकस कारपेट	67889.69	179.40	एम बी 2092 पृष्ठ 77

सरफेसिंग

35वाँ चलत बिल एम बी 2118 पृष्ठ (1 से 95)

9/9	टीक कोट	237080.97	179.40	एम बी 2151 पृष्ठ 23
12/2	प्रीमिकस सील कोट	67889.02	179.40	एम बी 2151 पृष्ठ 23

उपरोक्त विवरणानुसार रोड नं0 34 आरडी 0/00 से आर डी 0/34.50 में किये गये सड़क निर्माण कार्य का परिशिष्ट (ए–1) की मद संख्या 7 से 12 के अन्तर गत किये गये कार्य के लिए एक बार चलत बिल संख्या 27 व 28 के दौरान तथा दूसरी बार चलत बिल संख्या 32 व 35 के दौरान भुगतान किया गया था दो बार गणना व भुगतान करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार कार्य के 35वें चलत बिल तक ₹58286/– का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किए गए भुगतान की राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके मण्डल खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

परिशिष्ट (ए–1) मद संख्या	**रोड नं0 34 आर डी 00 से 0/34.50 मी0 की अधिक भुगतान कार्य मात्रा**	**दर**	**राशि ₹ में**
7/7	179.40 वर्ग मी0	₹10 प्रति 10 वर्ग मी0	179
8/8	179.40 वर्ग मी0	₹285 प्रति 10 वर्ग मी0	5113
9/9	538.20 वर्ग मी0	₹83 प्रति 10 वर्ग मी0	4467
10/10	179.40 वर्ग मी0	₹1600 प्रति 10 वर्ग मी0	28704
11/11	179.40 वर्ग मी0	₹895 प्रति 10 वर्ग मी0	16056
12/12	179.40 वर्ग मी0	₹210 प्रति 10 वर्ग मी0	3767
			58286

(6) ₹11200/– का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

38वें चलत बिल की मद संख्या 10/10 परिश्शिष्ट (ए–1) द्वारा वर्णित कार्य 5 सै0मी0 थिक प्रीमिकस विचूमिन इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 107400.89 वर्ग मी0 का भुगतान ₹1600 प्रति 10 वर्ग मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2154 पृष्ठ 6 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 2197.74 वर्ग मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2164 पृष्ठ 24 से 28 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना के अनुसार कार्य मात्रा 2127.74 वर्ग मी0 थी जिसे भुगतान करते समय 2197.74 वर्ग मी0 दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 70 वर्ग मी0 (2197.74 वर्ग मी0–2127.74 वर्ग मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹1600/– प्रति 10 वर्ग मी0 की दर से ₹11200/– का अधिक भुगतान किया गया था। अतः पुनः गणना करने के पश्चात अधिक किये गए भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(7) ₹16821/– का अधिक भुगतानः–

27वें चलत बिल की मद संख्या 7/13 परिश्शिष्ट (ए–1) द्वारा वर्णित कार्य सी0सी0 1:4:8 से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 482.87 घन मी0 का भुगतान ₹2010 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2069 पृष्ठ 6 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 105.93 घन मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2067 पृष्ठ 18 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि रोड नं0 39 डी/एस–जी 69 की रिकार्ड प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार से की गई थी। रोड नं0 39, डी/एस–जी 69 3x90x0.45x0.075 = 9.11 घन मी0

उपरोक्त रोड में प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट इत्यादि से सम्बन्धित बिल की मद संख्या 8/14 परिशिष्ट (ए–1) के अन्तर्गत किये गये कार्य की गणना मापन पुस्तिका 2067 पृष्ठ 22 पर निम्न प्रकार से की गई थी।

रोड नं0 39 डी/एस0जी0–69 1X30=30 मी0 जितनी लम्बाई में सीमेन्ट से सम्बन्धित कार्य किया गया था उतनी ही लम्बाई में सी0सी0 1:4:8 से सम्बन्धित कार्य किया जाना था। अतः सीमेन्ट खर्ब इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य के अनुसार रोड नं0 39 डी/डी एस–जी–69 में किये गये सी0सी0 1:4:8 से सम्बन्धित कार्य की गणना निम्न प्रकार से की जानी थी।

रोड नं0 39 डी/डी एस–जी–69 1x30x0.45x0.075 =1.01 घन मी0

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 1.01 घन मी0 कार्य मात्रा के स्थान पर 9.11 घन मी0 कार्य मात्रा का भुगतान किये जाने के कारण 8.10 घन मी0 (9.11 घन मी0–1.01 घन मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹2010/– प्रति घन मी0 की दर से ₹16281/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसके बारे में तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अधिक भुगतान ₹16821 की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

<u>(8) स्टील वर्क वैलिडंग इन बिलट–अप सैक्शन इत्यादि से सम्बन्धित कार्य में गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹11822/– का अधिक भुगतानः–</u>

निर्माण कार्य के 38वें चलत बिल की मद संख्या 9/10 परिशिष्ट (बी 3 एकस) द्वारा वर्णित कार्य स्टील वर्क वैलडिड इन बिलट अप सैक्शन इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 2955.60 कि0ग्रा0 का भुगतान ₹57.70 प्रति कि0ग्रा0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2154 पृष्ठ 55 पर किया गया था। कार्य के अनुबन्ध के साथ दरों का मिलान करने पर पाया गया कि उपरोक्त मद की दर ₹53.70 प्रति किलो ग्राम थी। उपरोक्त कार्य में ₹53.70 प्रति कि0ग्रा0 के स्थान पर ₹57.70 प्रति कि0ग्रा0 की दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹2955.60 कि0ग्रा0 कार्य मात्रा के लिए ₹4.00 प्रति कि0ग्रा0 (₹57.70–₹53.70) की दर से ₹11822/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(9) ₹7156/– का अधिक भुगतानः–

31वें चलत बिल की मद संख्या 1/1 परिशिष्ट (ए–1) द्वारा वर्णित कार्य कटिंग इन अर्थ वर्क वाई मकैनिकल मीन्ज इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा ₹202349.6 घन मी0 का भुगतान ₹77 प्रति घन मी0 की दर से संविदाकार को मापन पुस्तिका संख्या 2097 पृष्ठ 2 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा में शामिल ₹30946.63 घन मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2067 पृष्ठ 37 पर की गई थी। रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 30677.35 घन मी0 के स्थान पर ₹30946.63 घन मी0 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 31वें चलत बिल के दौरान 269.28 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹77 प्रति घन मी0 की दर से ₹20735/– का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान की गई राशि की मण्डल कार्यालय द्वारा कार्य के 32वें चलत बिल के दौरान वसूली कर ली गई थी लेकिन कार्य के 39वें चलत बिल के दौरान संविदाकार को 10 सी0सी0 दावे का भुगतान करते समय 31वें चलत बिल के दौरान कुल भुगतान की गई राशि से इस राशि को कम नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप ₹20735/– निम्न विवरणानुसार 39वें चलत बिल में 10 सीसी दावे के रूप में ₹7156/– का अधिक भुगतान किया गया था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

कुल राशि	**10 सीसी दावे की ग्रणना हेतु 8.5% के अनुसार राशि**	**सामग्री पर एसकलेशन की 75 प्रतिशत के अनुसार गणना**	**लेबर पर 25 प्रतिशत की दर से गणना**	**सामग्री पर एसकलेशन राशि**	**लेबर पर एसकलेशन राशि**
20735	17625	17625x75% (156-116.30)/116.30	17625x75% (120-75)/75	4512	2644
	कुल अधिक भुगतान (4512+2644)				**7156**

(10) ₹6948/– का अधिक भुगतानः–

35वें चलत बिल की मद संख्या 1/1 परिशिष्ट (ए–1) से सम्बन्धित किये गये कार्य कटिंग इन अर्थ वर्क इत्यादि की कुल मात्रा ₹223591.96 घन मी0 का भुगतान ₹77 प्रति घन मी0 की दर से संविदाकार को मापन पुस्तिका संख्या 2118 पृष्ठ 2 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा में सम्मिलित ₹8928.25 घन मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2070 पृष्ठ 93 से 100 तथा मापन पुस्तिका संख्या 2151 पृष्ठ 1 से 5 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका संख्या 2151 पृष्ठ 3 पर रोड नं0 3 की आर डी 0/00 पर एरिये की गणना करते समय गणना में गलती के कारण आर डी 0/00 का एरिया 8.55 वर्ग मी0 के स्थान पर 14.18 वर्ग मी0 दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप मापन पुस्तिका संख्या 2151 पृष्ठ 5 पर रोड नं0 3 की आर डी 0/00 से 0/32 की कार्य मात्रा की गणना करते समय कार्य मात्रा 418.56 घन मी0 के स्थान पर 508.80 घन मी0 दर्शाई गई थी जिसके कारण संविदाकार को 90.24 घन मी0 (508.80 घन मी0–418.56 घन मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹77 प्रति घन मी0 की दर से ₹6948/– का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जाए।

(11) संविदाकार को ₹1652/– का अनुचित/अधिक भुगतानः–

कार्य के 30वें चल बिल की मद संख्या परिशिष्ट बी (i) 1/1 द्वारा वर्णित कार्य एकसकावेशन इन फाऊंडेशन ट्रेचिंज इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 6876.19 घन मी0 का भुगतान ₹55 प्रति घन मी0 की दर से संविदाकार को मापन पुस्तिका संख्या 2095 पृष्ठ 14 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा में शामिल ₹268.62 घन मी0 व 91. 98 घन मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ क्रमशः मापन पुस्तिका संख्या 2092 पृष्ठ 13 व 21 पर की गई थी। इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि मापित ट्रेन्च की चौड़ाई कार्य मद की सपैसीफिकेशन द्वारा विभिन्न पाईपों के लिए निर्धारित चौड़ाई के अनुरूप नहीं थी। कार्य मद की सपैसीफिकेशन के अनुसार ट्रैन्च की चौड़ाई पाईप के ब्यास+400 एमएम अपेक्षित थी। लेकिन उपरोक्त कार्य मद के मापन व निष्पादन के समय उपरोक्त माप दण्ड को नजर अन्दाज करके ट्रेन्च की अधिक चौड़ाई का मापन व निष्पादन किया गया था जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 30.04 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹55 प्रति घन मी0 की दर से ₹1652/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न

प्रकार से है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

मापन पुस्तिका सं0	पृ0	भुगतान की गई कार्य मात्रा घन मी0	देय कार्य मात्रा घन मी0	अधिक भुगतान कार्य मात्रा घन मी0
2092	18	596.95 x0.60x0.75=268.62	596.95 x0.55x0.75=246.24	22.38
2092	21	204.40x0.60x0.75=91.98	204.40x0.55x0.75=84.32	7.66
		कुल अधिक भुगतान कार्य मात्रा		**30.04 घन मी0**

(12) फोर्म वर्क से सम्बन्धित फलैट सरफेस की कार्य मात्रा की गलत गणना के कारण ₹1610 का अधिक भुगतानः–'

निर्माण कार्य के 38वें चलत बिल की मद संख्या 2/3 (बी) परिशिष्ट (बी 5 एकस) द्वारा वर्णित कार्य फोर्म वर्क फलैट सरफेस इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 361.98 वर्ग मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 2154 पृष्ठ 69 पर ₹150/– प्रति वर्ग मी0 की दर से किया गया थां उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 64.38 वर्ग मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2164 पृष्ठ 88 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि एक टयूब बैल में किये गे कार्य की मात्रा 10.73 वर्ग मी0 थी तथा 5 नं0 टयूब बैल रूम में किये गये कार्य की मात्रा 53.65 वर्ग मी0 दर्शाई जानी चाहिए थी जबकि कार्य मात्रा 64.38 वर्ग मी0 दर्शाई गई थी। 53.65 वर्ग मी0 कार्य मात्रा के स्थान पर 64.38 वर्ग मी0 कार्य मात्रा दर्शाये जाने पर संविदाकार को 10.73 वर्ग मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹150 प्रति वर्ग मी0 की दर से ₹1610/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(13) गलत गणना के कारण ₹992/– का अधिक भुगतानः–

30वें चलत बिल की मद संख्या 3/4 परिशिष्ट (बी–1) द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0आई0/डीआई स्पैशल ऑफ क्लास के–12 पुश ऑन 600 एम0एम0 डाया तक इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 14543.96 कि0ग्रा0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 2095 पृष्ठ 16 पर ₹110.20 प्रति कि0ग्रा0 की दर से किया गया था। कुल कार्य मात्रा की गणना करते समय गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 14534.96 कि0ग्रा0 के स्थान पर ₹14543.96 कि0ग्रा0 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 9 कि0ग्रा0 (14543.96 कि0ग्रा0–14534.'96 कि0ग्रा0) कार्य मात्रा के लिए ₹110.20 प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹992/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(14) ₹327/– का अधिक भुगतानः–

35वें चलत बिल की मद संख्या 1/1 (परिशिष्ट ई) द्वारा वर्णित कार्य कटिंग इन अर्थ वर्क इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 26012.05 घन मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 2118 पृष्ठ 85 पर ₹70 प्रति घन मी0 की दर से किया गया था। इस कार्य मात्रा मे ंशामिल 722.25 घन मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 2070 पृष्ठ 87 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 717.58 घन मी0 के स्थान पर 722.25 घन मी0 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 4.67 घन मी0 ₹722.25 घन मी0–717.58 घन मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹70 प्रति घन मी0 की दर से ₹327 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी उचित माध्यम से वसूली सुनिनिश्चत की जाए।

(15) ₹120210/– 10 सी0सी0 दावे का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के 39वें चलत बिल में संविदाकार को ₹37758541/– का भुगतान 10 सी0सी0 दावे के रूप में किया गया था। कार्य के 26वें चलत बिल से 39 वें चलत बिल तक विस्तृत जाँच पड़ताल करने पर अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आये जिनकी

वसूली संविदाकार से की जानी है उपरोक्त पेरों में दर्शाई गई अधिक भुगतान की राशियों पर कार्य के 39वें चलत बिल में 10 सी0सी0 दावे का भी अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट "ङ" पर दिया गया है। अधिक भुगतान की गई राशि ₹120210/– के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 लेबर सैस चार्जिज ₹1201580/– को सम्बन्धित विभाग में समय पर भुगतान न करनाः–

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकारों से वसूल की गई लेबर सैस की राशि का सम्बन्धित विभाग को भुगतान नहीं किया गया था। नियमानुसार लेबर सैस की संविदाकारों से वसूल की गई राशियों को वसूली के तुरन्त पश्चात सम्बन्धित विभाग को जमा किया जाना वांन्छित था। दिनांक 1.4.2012 से पूर्व की प्राप्त राशि ₹17956/– तथा अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के दौरान प्राप्त ₹1183624/– लेबर सैस की कुल प्राप्त राशि ₹1201580/– दिनांक 31.3.2013 को सम्बन्धित विभाग को जमा की जानी शेष थी जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। इस राशि को इतनी लम्बी अवधि से सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं किया गया यह गम्भीर अनिमितता है। जमा न करने के कारण इस राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। सैस की संविदाकारों से वसूल की गई तथा ₹1201580/– की लेबर सैस की संविदाकारों से वसूल की गई राशि का तुरन्त सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये इसके अतिरिक्त भविष्य में लेबर सैस की संविदाकारों से वसूल की गई राशियों को अभिलम्ब सम्बन्धित विभाग को जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राप्ति का माह	**लेबर सैस की वसूल की गई राशि**
माह अप्रैल 2012 से पूर्व की जमा राशि	17956
4/2012	12724
5/2012	57387
6/2012	109037
7/2012	23245

8/2012	67032
9/2012	97062
10/2012	50934
11/2012	172717
12/2012	80160
1/2013	131467
2/2013	201178
3/2013	180681
	1201580

12 ₹349396/– की संविदाकार से वसूली न करनाः–

संविदाकार का नाम	श्री प्रताप सिंह
निर्माण कार्य का नाम	वैटरी हॉस्पीटल भवन कमराऊ जिला सिरमौर का निर्माण कार्य स्थल विकास लेबरिंग ऑफ पलाट तथा सैफटिंग टैक के निर्माण कार्य सहित करना
अनुबन्ध संख्या	39 वर्ष 2010.11
अनुबन्ध राशि	₹2381664.46

(1) उपरोक्त कार्य का आंबटन श्री प्रताप सिंह संविदाकार को अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या हिमुडा/पी0डी0/सी0बी/ए–15/2010–6175–78 दिनांक 29.11.2010 द्वारा किया गया था। कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 मास थी। संविदाकार द्वारा कार्य समय पर न करने के कारण अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 2 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुये पत्र संख्या पी0डी0/हिमुडा/ए0बी0/एग्री फाईल–39/2010–11–763–67 दिनांक 1.3.2012 द्वारा संविदाकार को प्रतिपूर्ति राशि (Compensation Amount) ₹258165.45 अनुबन्ध की राशि के 10 प्रतिशत भाग के बराबर 60 दिन के भीतर जमा करने को कहा था। संविदाकार द्वारा यह राशि आज दिन तक लगभग 20 माह का समय व्यतीत हो जाने पर भी जमा नहीं की गई न ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्त राशि की वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास किया गया राशि की वसूली हेतु आज दिन तक कोई पत्राचार नहीं किया गया न ही कोई कानूनी कार्रवाई की

गई। राशि की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उपरोक्त राशि ₹238165.45 की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ख) अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या पी0डी0/हिमुडा/ए0बी/एग्री फाईल–39/2010–11–1767–70 दिनांक 17.5.12 द्वारा अनुबन्ध की क्लाज 3 (ए) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुये संविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि को जब्त (Forteit) किया गया था। कार्य के दूसरे चलत बिल तक प्रतिभूति की राशि ₹42000/– थी जिसे उपरोक्त आदेशों के दृष्टिगत हिमुडा निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था लेकिन आज दिन तक उपरोक्त राशि को संविदाकार के प्रतिभूति खाते से निकाल कर हिमुडा निधि में जमा नहीं किया गया था जिसके बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये उपरोक्त राशि को शीघ्र हिमुडा निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) संविदाकार का तीसरा व अन्तिम बिल माप पुस्तिका संख्या 2071 पृष्ठ 17 से 25 पर दिनांक 30.7.2012 को तैयार किया गया था लेकिन यह बिल आज दिन तक भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया था। बिल की गणना (–)₹69231/– की गई है। अतः ₹69231/– की भी संविदाकार को वसूली की जानी अपेक्षित है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

13 ₹231184/– का सम्भावित अधिक भुगतानः–

कार्य का नाम	आई0आर0टी0 मन्धाला में 96 नं0 ई0 डब्लयू एस0 फलैट का निर्माण कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति एवं सैनेटरी इन्स्टालेशनल व स्थल विकास सहित करना (शेष कार्य)
संविदाकार का नाम	मै0 आल ग्रेस डवैलपमैन्ट प्राईवेट लिमिटेड
अनुबन्ध संख्या	9 वर्ष 2012–13

उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए प्रथम चलत बिल के तहत संविदाकार को ₹231184/– का अनुचित/अधिक भुगतान किया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) ₹97425/– का अधिक भुगतानः–

प्रथम चलित बिल की मद संख्या 5/14 (ए) द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंक्रीट एम–20 सस्पैंडिड फलों रूप इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल

मात्रा 2186.24 घन मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 2156 पृष्ट 5 पर ₹4500 प्रति घन मी0 की दर से किया गया था। कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से था :–

मापन पुस्तिका सं0	**पृष्ठ**	**कार्य मात्रा घन मी0 में**
2155	11	0.94
2153	22	41.23
2153	40	41.16
2153	51	20.63
2153	64	41.16
2153	79	41.14
		186.24 घन मी0

मापन पुस्तिका संख्या 2153 पृष्ठ 22 पर ब्लाक नं0 सी प्रथम फलोर लेबल के स्लैब में किये गये कार्य की गणना की गई थी। गणना का अवलोकन करने पर पाया गया कि रूम नं0 2, 3 व 6, 7 की बालकोनी में किये गये कार्य की गणना निम्न प्रकार से की गई थी।

बालकोनी स्लैब 4x7.17x1.35x0.13	5.03 घन मी0
बलकोनी फेसिया 4x6.48x0.075x0.27	0.52 घन मी0
कुल कार्य मात्रा	**5.55 घन मी0**

बालकोनी में किये गये कार्य की गणना का अवलोकन करने पर पाया गया कि रूम नं0 2, 3 व रूम नं0 6, 7 की बालकोनिया एक साथ था तथा दो फलैट की बालकोनी की लम्बाई लेकर कार्य मात्रा की गणना की गई थी जिसके अनुसार कुल कार्य मात्रा को 2 से गुणा करके 4 फलैट की कार्य मात्रा की गणना की जानी थी जबकि कुल कार्य मात्रा को 4 से गुणा करके कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था। उपरोक्त फलैट नं0 2, 3 व 6, 7 की बालकोनी में किये गये कार्य की गणना निम्न प्रकार से की जानी थीः–

बालकोनी स्लैब 2x7.17x1.35x0.13	2.51 घन मी0
बलकोनी फेसिया 2x6.48x0.075x0.27	0.26 घन मी0
चार फलैट की कुल कार्य मात्रा	**2.77**

उपरोक्त विवरणानुसार ब्लाक संख्या सी के प्रथम फलोर के स्लैब में बालकोनी में किये गये कार्य की गणना करते समय एक फलोर में 2.78 घन मी0 (5.55 घन मी0–2.77 घन मी0) कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा के आधार पर ब्लाक संख्या ए, बी व सी के अन्य फलोर में किये गये कार्य का भी भुगतान किया गया था जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार 21.65 घन मी0 कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था।

रिकार्ड प्रविष्टि मापन पुस्तिका सं0	**पृष्ठ**	**फलोर का विवरण यहां कार्य किया गया**	**भुगतान की गई कार्य मात्रा मी0**	**वास्तविक कार्य मात्रा घन मी0**	**अधिक भुगतान की गई कार्य मात्रा**
2153	22	ब्लाक सी प्रथम फलोर	5.55	2.77	2.78
2153	39	ब्लाक सी द्वितीय फलोर	5.55	2.77	2.78
2153	51	ब्लाक बी द्वितीय फलोर	2.78	1.39	1.39
2153	64	ब्लाक ए तीसरा फलोर	5.55	2.77	2.78
2153	79	ब्लाक बी तीसरा फलोर	5.55	2.77	2.78
2155	24	ब्लाक सी तीसरा फलोर	5.03	2.52	2.51
2155	32	ब्लाक ए रूफ लेबल स्लैब	5.42	2.21	2.21
2155	44	ब्लाक बी रूफ लेबस स्लैब	5.42	2.′21	2.21
2155	82	ब्लाक सी रूफ लेबस स्लैब	5.42	2.21	2.21
		कुल अधिक भुगतान कार्य मात्रा			**21.65 घन मी0**

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 21.65 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए **₹**4500 प्रति घन मी0 की0 दर से **₹**97425/– का अधिक भुगतान किया गया था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किये गये भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(2) ₹81600/– का अधिक भुगतानः–

प्रथम चलत बिल की मद संख्या 9/27 में वर्णित कार्य प्रोवाईंडिग वुड वर्क इन डोर एण्ड विन्डो फ्रेम देवदार वुड इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 24.192 घन मी0 का भुगतान ₹70000/– पार्ट रेट (पूर्ण दर ₹85000 से चौथे चलत बिल से भुगतान किया गया) से मापन पुस्तिका संख्या 2156 पृष्ठ 8 पर भुगतान किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से था।

मापन पुस्तिका संख्या	पृष्ठ	कार्य मात्रा
2155	14	8.064
2153	53	8.064
2153	66	8.064

96 नं0 ई डब्लयू एस फलेटों में किये गये कार्य की मात्रा की गणना करने समय एक फलैट की कार्य मात्रा की गणना करके एक ब्लाक के 32 फलैट तथा तीन ब्लाकों के 96 फलैट में किये गये कार्य की गणना की गई थी। ब्लाक (ए) के एक फलैट के किये गये कार्य की गणना मापन पुस्तिका संख्या 2155 पृष्ठ 13, 14 पर निम्न प्रकार से की गई थी। कार्य मात्रा की गणना करते समय डोर व विन्डो फ्रेम की लम्बाई व चौड़ाई की मात्रा डैसीमल के तीन व चार स्थान तक लेकर गणना की गई थी तथा योगफल दो स्थान के पश्चात राऊंड करके किया गया था। एच0पी0पी0डब्लयू डी0सैटसीफिकेशन के पैरा 5.1 के अनुसार वुड वर्क में घन मी0 कार्य मात्रा की गणना करते समय गणना को डैसीमनव के तीन स्थान तक ही लिया जाना चाहिए था गणना का योगफल डैसीमल के दो स्थान के पश्चात राऊंड किये जाने के कारण निम्न विवरणानुसार 0.672 घन मी0 कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था।

मापन पुस्तिका संख्या 2155 पृष्ठ 13, 14 पर की गई एक फलैट की गणना का विवरण				वास्तविक कार्य मात्रा
डोर डी	हौरी पैन्टल चैम्बर	1x2x1.00x0.125x0.0625	0.02 घन मी0	0.016 घन मी0
	वर्टीकल चैम्बर	1x2x0.0625x0.125x2.64	0.04 घन मी0	0.041 घन मी0
डोर डी 1	हौरी जैन्टल चैम्बर	1x1x0.90x0.125x0.0625	0.007 घन मी0	0.007 घन मी0
	वर्टीकल चैम्बर	1x2x0.0625x0.125x2.14	0.03 घन मी0	0.033 घन मी0
डोर डी 2	हौरी जैन्टल चैम्बर	1x1x0.75x0.10x0.0625	0.005 घन मी0	0.005 घन मी0

	वर्टीकल चैम्बर	1x2x0.0625x0.125x2.14	0.03 घन मी0	0.033 घन मी0
विन्डो	हौरी जैन्टल चैम्बर	1x2x1.80x0.125x0.0625	0.03 घन मी0	0.028 घन मी0
	वर्टीकल चैम्बर	1x4x1.20x0.125x0.0625	0.04 घन मी0	0.036 घन मी0
विन्डो 1	हौरी जैन्टल चैम्बर	2x2x0.60x0.125x0.0625	0.02 घन मी0	0.019 घन मी0
	वर्टीकल चैम्बर	2x2x0.125x0.0625x0.87	0.03 घन मी0	0.027 घन मी0
		एक फलैट की कुल कार्य मात्रा	0.252 घन मी0	0.245 घन मी0
		एक ब्लाक के 32 फलैट की कुल कार्य मात्रा	8.064 घन मी0	7.840 घन मी0
		तीन ब्लाक के 96 फलैट की कुल कार्य मात्रा	24.192 घन मी0	23.520 घन मी0

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 0.672 घन मी0 (24.192 घन मी0–23.520 घन मी0) कार्य मात्रा के लिए अधिक भुगतान किया गया था।

उपरोक्त कार्य मात्रा की गणना करते समय डोर डी (2) जो सिंगल पताम का था के वर्टीकल चैम्बर की गणना 0.125 मी0 x0.0625 मी0 लम्बाई व चौड़ाई के सैक्शन में की गई थी जबकि गणना 0.10x0.0625 लम्बाई व चौड़ाई के सैक्शन में की जानी थी गलत सैक्शन के अनुसार गणना करने के कारण संविदाकार को 0.3168 घन मी0 कार्य मात्रा का निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था।

एम0बी0 के अनुसार की गई गणना

डोर डी 2	वर्टीकल चैम्बर	1x2x0.0625x0.125x2.14	0.03 घन मी0
	वास्तविक गणना		
डोर डी 2	वर्टीकल चैम्बर	1x2x0.0625x0.10x2.14	0.027 घन मी0
	एक फलैट की कार्य मात्रा से अधिक भुगतान		0.003 घन मी0
	96 फलैट की कार्य मात्रा में अधिक भुगतान कार्य मात्रा	0.003x96	0.288 घन मी0

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 0.960 घन मी0 (0.672 घन मी0+0.288 घन मी0)कार्य मात्रा के लिए ₹85000/– प्रति घन मी0 की दर से ₹81600/– का अधिक

भुगतान किया गया था जिस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(3) ब्रिक वर्क के कार्य से डोर व विण्डो फ्रेम फिक्स करने के लिए सी0सी0 1:3:6 में किये गये कार्य की मात्रा को कम न करने के कारण ₹50927/– का अधिक भुगतानः–

प्रथम चलत बिल की मद संख्या 7/20 द्वारा वर्णित कार्य ब्रिक वर्क इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 161.72 घन मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 2156 पृष्ठ 7 पर ₹3650/– पार्ट दर (पूर्ण दर ₹3685 से तीसरे चलत बिल में भुगतान के तहत किया गया था। प्रथम चलत बिल की मद संख्या 10/33 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग होल्ड फास्ट इन सीमेन्ट ब्लाक 30x10x15 सै0मी0 इन सी0सी0 1:3:6 इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 1024 नं0 (तीसरे बिल नं0 3072 नं0) का भुगतान ₹75 प्रति की दर से किया गया था। होल्ड फास्ट लगाने के कार्य में किये गये सी0सी0 1:3:6 से सम्बन्धित कार्य मात्रा को ब्रिक वर्क के कार्य से कम नहीं किया गया था। ब्रिक वर्क के कार्य से होल्ड फास्ट लगाने के लिए किये गये सी0सी0 1:3:6 से सम्बन्धित कार्य मात्रा को कम न करने के कारण संविदाकार को ब्रिक वर्क के कार्य में 13.82 घन मी0 (0.30x0.10x0.15=0045 घन मी0 x3072 नं0) कार्य मात्रा के लिए ₹3685 प्रति घन मी0 की दर से ₹50927.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अधिक किये गये भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाये।

(4) ₹1232/– का अधिक भुगतानः–

प्रथम चलत बिल की मद संख्या 6 (सी) द्वारा वर्णित कार्य फोर्म वर्क इन वीम एण्ड कैन्टीलीवर इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 655.88 वर्ग मी0 का भुगतान ₹280 प्रति वर्ग मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2156 पृष्ठ 4 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा के जोंड़ करते समय जोड़ों में गतली के कारण कार्य मात्रा 651.48 वर्ग मी0 के स्थान पर 655.88 वर्ग मी0 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 4.40 वर्ग मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹280 प्रति वर्ग मी0 की दर से ₹1232 (280X4.40 वर्गमी0) का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान की गई राशि ₹1232/– की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए।

14 ₹2355/– का अधिक भुगतानः–

वाउचर संख्याः 82 दिनांक 9.1.2013 ₹336040

कार्य का नाम 8 नं0 कैटागिरी 1 फलैट ब्लाक नं0 71 का निर्माण कार्य पार्किंग फलोर के साथ करना। उप कार्य प्रोवाईडिंग एकस्टरनल सिवरेज

संविदाकार का नाम मै0 कुन्दन लाल हरी राम

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलत बिल का भुगतान संविदाकार को मापन पुस्तिका संख्या 2144 पृष्ठ 56 से 65 पर किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि बिल की मद संख्या 1/1 एकसकनेशन आफ अर्थ वर्क इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 212.53 घन मी0 का भुगतान ₹150 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 2144 पृष्ठ 57 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से था।

मापन पुस्तिका सं0	पृष्ठ	कार्य मात्रा
2120	51	154.42 घन मी0
2120	54	48.07 घन मी0
2120	59	10.04 घन मी0
		212.53 घन मी0

मापन पुस्तिका संख्या 2120 पृष्ठ 54 पर की गई 48.07 घन मी0 कार्य मात्रा की गणना में सौक पिट में किये गये एकसकावेश से सम्बन्धित 15.70 घन मी0 कार्य मात्रा (11/4x2.50x2.50x3.20=15.70 घन मी0) भी शामिल थी। सैक पिट से सम्बन्धित ऐनालाईसिज आफ रेट के अनुसार सौंक पिट में किये जाने वाला एकसकावेशन कार्य भी सौक पिट से सम्बन्धित दर से अनुसार शामिल था। अतः सौंक पिट में किये जाने वाले एकसकावेशन से सम्बन्धित कार्य का अलग से भुगतान नहीं किया जाना था जिस कारण संविदाकार को 15.70 घन मी0 भी कार्य मात्रा के लिए ₹150 प्रति घन मी0 की दर से संविदाकार को ₹2355/– (15.70 घन मी0x₹150) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

15 गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹233157/– का अनियमित/अधिक भुगतानः–

निर्माण मण्डल में कार्यरत्त श्री सुंदर सिंह, श्री जोगिन्द्र सिंह व श्री राजेश ठाकुर की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल पर पाया गया कि इन कनिष्ठ अभियन्ताओं को कार्यालय आदेश संख्या हिमुडा 5–23/2007–एडमिन खण्ड xi दिनांक 30.4.2010 द्वारा Purely on stop gap arrangement के लिए सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद हेतु officiate करने के आदेश दिये गये थे तत्पश्चात कार्यालय आदेश सम संख्या दिनांक 25.8.2010 द्वारा उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को तीन माह व उससे सम्बन्धित आगामी आदेश जो भी पहले हो के अनुसार सहायक अभियन्ता के पद पर officiate करने हेतु कहा गया था परन्तु अवधि 24.11.2010 के पश्चात इन पदों पर officiate करने हेतु कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किये गये इसके अतिरिक्त विभाग के समसंख्या दिनांक 14.9.2012 द्वारा श्री सुदर सिंह एवं श्री जोगिन्द्र सिंह को Adhoc आधार पर तथा श्री राजेश ठाकुर को विभाग के पत्र समसंख्या 28.9.2012 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर तैनाती के आदेश जारी किये गये जिस अनुसार उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य ग्रहाण किया जाना अपेक्षित था। वेतन निर्धारण से सम्बन्धित तय नियमों के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों को Purely on step gap arrengment के तहत उच्च पद के लिए officiate के आदेश दिये जाते है तो उच्च पद /officiate post के लिए उसका वेतन निर्धारण नहीं किया जलाता और न ही उच्च पद के लिए निर्धारित वेतनमान दिया जाता है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के मामले में नियमों की अनदेखी करके उन्हें officiate post के लिए वेतन निर्धारण का अनुचित लाभ दिया गया ऐसा करने से कनिष्ठ अभियन्ताओं को ₹233157/– वेतन का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "च" पृष्ठ 1 से 3 पर संलग्न किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित इन कनिष्ठ अभियन्ताओं को किए गए ₹233157/– के भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के दिनांक 24.11.2010 के पश्चात बिना आदेश के Assistant Enginner के पद पर officiate करने तथा नियमित पदोन्नति के आदेशानुसार सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य ग्रहण न करने के कारण सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा मामले में कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 ₹81388/– का अंशदायी भविष्य निधि में अनियमित भुगतानः–

वेतन बिलों/वेतन रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि श्री भगवान चन्द तथा श्री विनोद ठाकुर कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति अनुबन्ध आधार पर की गई थी अनुबन्ध की शर्त संख्या 9 के अनुसार उक्त कर्मचारियों की निर्धारित मासिक अनुबन्ध राशि से कोई भी सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि की कटौती नहीं की जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा उक्त शर्त की अनदेखी करते हुए कर्मचारियों के मासिक अनुबन्ध राशि से 10% की दर से अंशदायी भविष्य निधि की कटौती की गई तथा इस राशि के समतुल्य ही निर्माण मण्डल द्वारा नियोक्ता अंशदान किया गया जिससे मण्डल को निम्नविवरणानुसार ₹81388/– का नुकसान उठाना पड़ा। अंशदायी भविष्य निधि की कटौती व नियोक्ता अंशदान अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः किए गये अंशदान को नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**कर्मचारी का नाम**	**अवधि जिस हेतु अंशदान किया गया**	**वेतन रजिस्टर के अनुसार वेतन भुगतान की राशि**	**10% की दर से किया गया नियोक्ता अंशदान**
1	श्री भगवान चन्द कनिष्ठ अभियन्ता	25.5.11 से 31.3.13	329761	32976
2	श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियन्ता	1.7.2010 से 31.3.13	484120	48412
			कुल योग	**81388**

17 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का अनियमित भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे से सम्बन्धित समय–2 पर जारी दिशा निर्देशानुसार यदि पति पत्नी दोनों व्यक्ति सरकारी सेवा में हो तो उस स्थिति में एक व्यक्ति को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु विकल्प प्रस्तुत करना अपेक्षित है परवाणु मण्डल के पत्र संख्या पी0डी0/ए0सी0/ए0–2/2010–10/58 दिनांक 26.2.13 के अनुसार श्रीमती कमलेश (अधीक्षक) को उनके पति श्री सुरेश गोयल के चिकित्सा बिलों को यह कहकर वापिस लौटाया

गया कि उनके पति सरकारी नौकरी से सेवारत होने के कारण तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु विकल्प प्रस्तुत न करने के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान नहीं किया जा सकता जबकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे से सम्बन्धित वाऊचर संख्या 62 दिनांक 12.12.12 की पड़ताल पर पाया गया कि श्रीमती कमलेश गोयल को उनके पति श्री सुरेश गोयल के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु ₹7044 की राशि का भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु विकल्प प्रस्तुत किए बिना ही कर दिया गया जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹7044 तथा यदि इस प्रकार का कोई अन्य भुगतान किया गया हो तो उसकी वसूली सुनिश्चित करें तथा भविष्य में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु विकल्प पत्र बारे सम्बन्धित विभाग जहाँ पर श्री सुरेश गोयल कार्यरत्त/सेवारत है से पत्राचार करके चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु विकल्प नियमानुसार प्राप्त करके भुगतान सुनिश्चित करें।

18 ₹5412/– यात्रा भत्ते दावे का अनियमित भुगतानः–

यात्रा भत्ते दावे के वाऊचर की पड़ताल पर पाया गया कि सहायक अभियन्ता श्री जोगिन्द्र सिंह को निम्नविवरणानुसार सरकारी यात्रा हेतु व्यक्तिगत वाहन के उपयोग करने पर यात्रा भत्तें दावे के रूप में ₹5412/– का अनियमित भुगतान किया गया था हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या हिमुडा 5–439/2005 दिनांक 16. 2.05 के अनुसार सहायक अभियन्ता को सरकारी कार्य हेतु व्यकितगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से स्वीकृति लेना आवश्यक था परन्तु निम्न मामलों में सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता की स्वीकृति बिना व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग करके सहायक अभियन्ता को यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹5412/– का अनियमित भुगतान किया गया जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0 व दिनांक	व्यक्तिगत वाहन से तय की गई दूरी	भुगतान की दर प्रति कि0मी0	भुगतान की गई राशि
7	902	6	5412

19 **लधु आपति विवरण :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लधु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

20 **निष्कर्ष :–** लेखाओं के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)121/88–खण्ड–15–2072–74, दिनांक 02.04.2014, शिमला–171009

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
2. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, शिमला–171002.

पंजिकृत 3 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल परवाणू जिला सोलन, को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013 तक के पैरा संख्या: 1 (ग) में वर्णित ।

(1) मण्डी मण्डल से स्थानान्तरित पैरे

(1)	अवधि 1984—85	पैरा 19(एफ)	अनिर्णीत
(2)	अवधि 1985—86	पैरा 6	अनिर्णीत
(3)	अवधि 1987—88	पैरा 8(सी)	अनिर्णीत
(4)	अवधि 1987—88	पैरा 10(ई)	अनिर्णीत

(2) शिमला मण्डल—2 से स्थानान्तरित पैरे

(I) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/92

(1)	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 5(त)	अनिर्णीत
(3)	पैरा 9(क)	अनिर्णीत

(II) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/93 से 03/94

(1)	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
(2)	पैरा 19	अनिर्णीत

(III) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/94 से 03/95

(1)	पैरा 17	अनिर्णीत

निर्माण मण्डल परवाणु

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 03/96

(1)	पैरा 9	अनिर्णीत
(2)	पैरा 12	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2001

(1) पैरा 23 अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

(1) पैरा 20 निर्णीत (आवश्यक कार्यवाही पश्चात)

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

(1) पैरा 13 निर्णीत (पत्र संख्या 1–548/2011–फिन एल0ए0/खण्ड–1 दिनांक 13.6.13 के अनुसार)

(2) पैरा 20 अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

(1) पैरा 6 निर्णीत (हिमुडा पत्र संख्या डी0बी0/बददी पी0एच0 3/2 खण्ड–2 1608 दिनांक 13.8.2012 पत्र की पुष्टि पश्चात)

(2) पैरा 10 (5) निर्णीत (पत्र संख्या 1–548/2011–फिन एल0ए0/खण्ड–1 दिनांक 13.6.13 के अनुसार)

(3) पैरा 13 निर्णीत (–यथोपरि–)

(4) पैरा 14 निर्णीत (आवश्यक राशि की वसूली विभिन्न रसीदों की माध्यम से करने के पश्चात)

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009

(1) पैरा 6 निर्णीत (₹113000 रसीद संख्या 305703 दिनांक 1.11.13 द्वारा प्राप्ति पश्चात)

(2) पैरा 7(क) निर्णीत (पत्र संख्या 1–548/2011–फिन एल0ए0/खण्ड–1 दिनांक 13.6.13 के अनुसार)

(3)	पैरा 16	निर्णीत	(–यथोपरि–)
(4)	पैरा 17	आंशिक निर्णीत	
(5)	पैरा 18	निर्णीत	(आश्वयक कार्यवाही पश्चात)
(6)	पैरा 19(घ)	निर्णीत	(पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन एल0ए0 / खण्ड–1 दिनांक 13.6.13 के अनुसार)

(9) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 2009 से 03 / 2010</u>

(1)	पैरा 3	निर्णीत	(पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन एल0ए0 / खण्ड–1 दिनांक 13.6.13 के अनुसार)
(2)	पैरा 9	निर्णीत	(–यथोपरि–)
(3)	पैरा 11	निर्णीत	(–यथोपरि–)
(4)	पैरा 12(क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
(5)	पैरा 12(ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
(6)	पैरा 12(ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
(7)	पैरा 12(घ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
(8)	पैरा 14	निर्णीत	(–यथोपरि–)
(9)	पैरा 16	निर्णीत	(–यथोपरि–)

<u>10 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 2010 से 03 / 2011</u>

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क मामला मुख्यालय हिमुडा से सम्बन्धित होने के कारण)
2	पैरा 5 (1)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5 (2)	निर्णीत	(पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन एल0ए0 / खण्ड–1 दिनांक 13.6.13 के अनुसार)
4	पैरा 5 (5)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 5 (6)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा 8 (1)	निर्णीत	(राशि की वसूली माप पुस्तिका संख्या 2034 पृष्ठ 6

			से 17 के पश्चात)
7	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9	निर्णीत	(पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन एल0ए0 / खण्ड–1 दिनांक 13.6.13 के अनुसार)
10	पैरा 10 (1)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
11	पैरा 11	निर्णीत	(–यथोपरि–)
12	पैरा 12	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही पश्चात)
13	पैरा 12 (3)	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही पश्चात)

11 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 2011 से 03 / 2012

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क मामला हिमुडा मुख्यालय से सम्बन्धित होने के कारण)
2	पैरा 4 (क)	निर्णीत	(स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में होने के पश्चात)
3	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा 4 (ग)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
5	पैरा 4 (घ)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
6	पैरा 4 (ङ)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
7	पैरा 4 (च)	निर्णीत	(स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है)
8	पैरा 5 (1)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
9	पैरा 5 (2)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
10	पैरा 5 (3)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
11	पैरा 5 (4)	निर्णीत	(राशि ₹5620 / –की वसूली माप पुस्तिका संख्या 2172 पृष्ठ 81 में करने के पश्चात)
12	पैरा 6 (1)	निर्णीत	(आवश्यक प्रविष्टि MAS रजिस्टर पृष्ठ 53 में दर्ज करने के पश्चात)
13	पैरा 6 (11)	निर्णीत	(राशि ₹3420 / –की वसूली माप पुस्तिका संख्या 2123 पृष्ठ 9 में करने के पश्चात)

14	पैरा 7 (1)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
15	पैरा 7 (ii)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
16	पैरा 7 (iii)	अनिर्णीत	
17	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत	
18	पैरा 8 (ii)	अनिर्णीत	
19	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत	
20	पैरा 9 (2)	अनिर्णीत	
21	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत	
22	पैरा 10 (2)	निर्णीत	(राशि ₹26780/–की वसूली माप पुस्तिका संख्या 2084 पृष्ठ 95 में दर्ज करने के पश्चात)
23	पैरा 11 (1)	निर्णीत	(राशि ₹3171/–की वसूली माप पुस्तिका संख्या 2163 पृष्ठ 49 में दर्ज करने के पश्चात)
24	पैरा 12	अनिर्णीत	
25	पैरा 13	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
26	पैरा 14	निर्णीत	(स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है)
27	पैरा 15	निर्णीत	(स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है)
28	पैरा 16	अनिर्णीत	
29	पैरा 17	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)